उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या: 479/XXX (2) 2009
देहरादून : दिनांक 8 जुलाई, 2009

अधिसूचना संख्या 479/XXX(2)2009–3(1)/2007 दिनांक 08 जुलाई, 2009 को प्रख्यापित "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली 2009" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल ।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
8.7.09
(सौरभ जैन)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 479/XXX(2)/2009 –3(1)/2007
देहरादून, दिनांक 08 जुलाई 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विषयक कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 169/कार्मिक–2/2003, दिनांक 16.04.2003 को अधिक्रमित करते हुए उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के परिप्रेक्ष्य में, पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड(लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

अध्यारोही प्रभाव– 2. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी ।

ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया– 3.(1) 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' अथवा 'ज्येष्ठता सह श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में उत्तरांचल(लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता–सूची नियमावली, 2003 के नियम 5 के उपबन्धों के अधीन बनायी गई पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नामों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनके ज्येष्ठता क्रम के अनुसार विचार किया जायेगा। सर्वप्रथम

वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे "उपयुक्त" या "अनुपयुक्त" घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार अधिकारियों के नामों पर विचार किया जायेगा, जब तक कि रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जायं। जब प्रोन्नति के लिए वांछित अधिकारी उपलब्ध हो जायं तो उसके बाद के अधिकारियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस प्रकिया हेतु सम्बन्धित अधिकारियों की प्रोन्नति के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की अद्यतन 10 वर्ष की उपलब्ध प्रविष्टियां देखी जायेंगी और यदि 10 वर्षों से कम की प्रविष्टियां ही उपलब्ध हों तो उपलब्ध सभी प्रविष्टियां देखी जायेंगी।

(3) यदि पात्रता क्षेत्र में शामिल अभ्यर्थी की विगत 10 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों में पांच या अधिक चरित्र प्रविष्टियों को 'उत्तम' या 'उच्चतर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो तथा विचारण के ठीक 2 वर्ष पूर्व की प्रविष्टियां प्रतिकूल न हों, तो ऐसे अभ्यर्थी को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु "उपयुक्त" घोषित किया जायेगा।

(4) यदि किसी वर्ष में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अथवा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध अंकित होती है तो जिस वर्ष ऐसी प्रविष्टि अंकित की गयी है, उस वर्ष से 05 वर्ष तक ऐसे अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं समझा जावेगा।

(5) उपयुक्त के अनुसार की जाने वाली पदोन्नति में कार्मिक केवल अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि वह पद हेतु उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार अनुपयुक्त सिद्ध होता है तो चयन समिति उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति हेतु संस्तुत कर सकती है।

(6) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करने, उन्हें "उपयुक्त" तथा "अनुपयुक्त" घोषित करने के पश्चात, "उपयुक्त" अभ्यर्थी को उसकी ज्येष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिकों की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती)

(संशोधन) नियमावली, 2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रकिया –

4(1)किसी सेवा नियमावली में अथवा कार्मिक विभाग की किसी नियमावली में "योग्यता", "श्रेष्ठता", "सर्वथा श्रेष्ठता" (स्ट्रिक्टली मेरिट) अथवा "मुख्य रूप से श्रेष्ठता"(प्राइमरिली ऑन मेरिट) या "समस्त पात्रता क्षेत्र से श्रेष्ठतानुसार कड़ाई से चयन" (रिगरेसली सलेक्शन ऑन मेरिट फ्रॉम दी होल फील्ड ऑफ़ एलीजीबिलिटी) अथवा "सर्वथा श्रेष्ठतानुसार या "श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता" या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिसमें पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता/श्रेष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् "श्रेष्ठता" (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के आधार पर होने वाली पदोन्नति का मुख्य आधार "श्रेष्ठता" होगा। "श्रेष्ठता" के मूल्यांकन का आधार अधिकारी की सत्यनिष्ठा, नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी/ विषयज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियां/ योगदान, कार्य के सुगमता से निष्पादन की क्षमता इत्यादि गुण होंगे। इसके लिए वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां, विशेष प्रविष्टियां, व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अन्य अभिलेख व विभागीय प्रोन्नति समिति के संज्ञान में लाये गये अन्य तथ्य होंगे।

(3) अधिकारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल की प्रविष्टियां देखी जायेंगी, परन्तु विशेष ध्यान अन्तिम 10 वर्षों की प्रविष्टियों पर दिया जायेगा। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, सन्तोषजनक व प्रतिकूल वर्ग में किया जायेगा। 12 माह की "उत्कृष्ट" प्रविष्टि के लिए 10 अंक, "अति उत्तम" प्रविष्टि के लिए 08 अंक, "उत्तम" प्रविष्टि के लिए 05 अंक, "सन्तोषजनक" प्रविष्टि के लिए शून्य अंक तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के लिए 05 ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। 12 माह से कम अवधि के लिए प्राप्त अंक को कुल माह जिनकी प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी : 12 के अनुपात में कम कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंक के कुल योग को कुल माहों (जिनकी प्रविष्टि मूल्यांकित की गयी)

से विभाजित करने पर औसत मासिक अंक प्राप्त होगा जिसे 12 से गुणा करने पर औसत वार्षिक अंक प्राप्त होगा। 06 से कम औसत वार्षिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी श्रेष्ठता के पैमाने पर खरे नहीं माने जायेंगे तथा प्रोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा। 06 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी को वार्षिक चरित्र पंजिका के मूल्यांकनार्थ "अति उत्तम" श्रेणी में तथा 06 व इससे अधिक किन्तु 08 से कम अंक प्राप्त करने वाले कार्मिक को "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

(4) श्रेष्ठता के पैमाने में अन्यथा खरे उतरने वाले कार्मिकों में से वार्षिक चरित्र पंजिका के आधार पर "अति उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत अभ्यर्थियों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा, "अति उत्तम" श्रेणी के उक्त अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात भी यदि रिक्तियां बचती हैं तो शेष रिक्तियों के सापेक्ष "उत्तम" श्रेणी में वर्गीकृत अभ्यर्थियों को उनके ज्येष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जायेगा।

(5) जिस अभ्यर्थी की चयन वर्ष के ठीक पूर्व की दो प्रविष्टियों में से एक भी प्रविष्टि खराब है या जिस अभ्यर्थी की चयन वर्ष के विगत 05 वर्षों में वार्षिक गोपनीय/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गयी है, उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा;

(6) श्रेष्ठता के चयन में यदि किसी अभ्यर्थी को अवकलित किया गया है, तब ऐसे अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा कि वह पद की अनुपलब्धता अथवा पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण, जैसी भी स्थिति हो, संस्तुत नहीं किया गया है।

'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' तथा 'श्रेष्ठता' के चयनों में न्यूनतम वार्षिक प्रविष्टियों की उपलब्धता–

5. पदोन्नति के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि के दौरान अन्तिम 10 वर्षों में से कम से कम 06 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां उपलब्ध होनी आवश्यक होंगी।

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.479 /XXX(2)/2009-3(1)/2007,dt.8.7.2009 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Section-2
No. 479 /XXX(2)/2009 3(1)2007
Dehradun Dated: 8th July , 2009

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', in supersession of Office Memo No. 169/Karmik-2/2003, dated 16-4-2003 of the Personnel Department regarding procedure of selection for promotion in the State Services on the basis of seniority and merit, and for the purpose of procedure of selection for promotion in the context of the Uttaranchal Promotion By Selection (On Posts Outside The Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 and The Uttaranchal Government Servants (Criterion for Recruitment by Promotion) Rules, 2004, the Governor is pleased to make the following rules :-

The Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) On the Basis of 'Seniority' and 'Merit' , Subject to the Rejection of Unfit, (Procedure) Rules,2009.

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (Outside the Purview of the Public Service Commission) On the Basis of 'Seniority' and 'Merit' Subject to the Rejection of Unfit,Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

Overriding effect

2. These Rules shall have effect not withstanding anything to the contrary contained in any rules or orders.

Procedure of selection on the basis of Seniority

3.(1) The Departmental Promotion Committee shall consider the names of the candidates, included in the eligibility list, prepared under the provisions of Rule 5 of the Uttaranchal Promotion By Selection (On Posts Outside the Purview of Public Service Commission) Eligibility List Rules, 2003, for promotion on the basis of 'Seniority' or 'Seniority-Cum-Merit', subject to rejection of unfit. First of all, the name of the senior most officer shall be considered and after declaring him/her 'fit' or 'unfit', followed by the second and third officer and so on till required number of suitable officers are available for promotion against the vacancies. When the desired officers for promotion become available, the names of the officers thereafter need not to be considered.

(2) For the purpose of this procedure, the available up to date entries of the concerned officers for the period of last ten years service on the post just below the promotional post shall be considered and if the entries of less than 10 years only are available, all the available entries shall be considered.

(3) If five or more entries out of the preceding '10 years' entries in the character roll of a candidate, included in the field of eligibility are classified as 'Good' or 'Higher' Category and the entries of two years immediately preceding the year of consideration are not adverse, such candidate shall be declared 'fit' for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) If in the annual confidential entry in any year or by special adverse entry, the integrity of any candidate is mentioned as doubtful, such candidate shall not be considered eligible for promotion upto 5 years from the year, in which such entry has been made

(5) In case of promotion to be made as above, the candidate can not claim his promotion purely on the basis of seniority as a matter of right. If he is proved to be unfit for the post in accordance with the above criterion, the Selection Committee may recommend the employee junior to him/her for promotion.

(6) After considering the eligible candidates by the Departmental Promotion Committee and declaring them as 'fit' or 'unfit', the candidate declared 'fit' shall be recommended for promotion in order of his/her seniority.

Explanation:- Anything contained in these Rules shall not be applicable in case of recruitment/ promotion of Group 'D' employees to Group 'C' posts. Recruitment/Promotion from Group 'D' to Group 'C' posts shall be made in accordance with the provisions contained in the Subordinate Offices Ministerial Staff Service(Direct Recruitment) (Amendment) Rules, 2008

Procedure for selection on the basis of merit.

4. (1) Where any service rules or rules of the Personnel Department provide "Qualification", "Merit", "Strictly Merit" or "Primerily on Merit", or "Rigorous selection on merit from the whole field of eligibility" or "Strictly according to Merit" or "Seniority where merits are equal or merit-cum seniority" or any such other criterion, however expressed, wherein primary stress has been laid on merit/eligibility as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these Rules shall be merit.

(2) The promotion to be made under above sub rule (1) shall be mainly on the basis of 'Merit'. The 'Merit' shall be assessed mainly on the basis of integrity of the officer, leadership qualities and capability to take quick decision, technical knowledge of the subject, special achievements/ contribution and capacity to execute the work easily like qualities. Entries in the annual character roll special entries, other records available in the personal file and other facts brought to the notice of the Departmental Promotion Committee shall be considered for the purpose.

(3) For the purpose of assessment of the annual entries of the character rolls, the entries of the entire service period of the officers shall be taken into consideration, however, the entries of the last 10 years shall be given special consideration. The entries shall be categorised as 'Outstanding' 'Very Good' ,'Good' Fair/Satisfacory and 'Adverse'. For entries of 12 months 10 marks for

'Outstanding', 08 marks for 'Very good', 05 mark for 'Good' zero mark for 'satisfactory/fair' and 05 negative marks for 'adverse' entry shall be awarded. The Marks obtained for the period less than 12 months shall be deducted from the total marks of months for which the entries are assessed, in the ratio of 12. The average monthly marks shall be obtained by deviding the aggregate of marks so obtained by total number of months (the entries of which are assessed) and by multiplying the same by 12 average annual marks shall be obtained. The officers securing less than 06 average annual marks shall not be considered fit for permotion on the basis of merit and their names should not be considered for promotion. For the purpose of assessement of annual character roll the officers securing 08 or more marks shall be categorised as 'Very Good' and the employee securing more than 06 but less than 08 marks shall be categorised as Good.

(4) The candidates categorised as 'Very Good' from amongst the employees who are otherwise fit on merit on the basis of annual character roll shall be recommended for promotion against the available posts in order of their seniority. After the selection of the above candidates categorised as 'Very Good' candidates categorised as 'Good' shall be recommended for promotion against the remaining vacancies, in order of their seniority.

(5) The name of the candidate, whose even one out of the two entries immediately before the year of selection is adverse or whose integrity during the last five years preceding the year of selection is doubtful in the annual confidential entry or by special adverse entry, shall not be considered.

(6) If in selection on merit, any candidate has been pushed down, he/she shall be informed that he/she has not been recommended on account of non-availability of post or being classified under 'Unfit' category for promotion, as the case may be.

Availibility of minimum annual entires for the selection on the basis 'merit' and "Seniority subject to the rejection of unfit"	5. Annual entries of at least 06 years out of the last ten years entries during the period of service on the post just below the promotional post must be available.

By Order,

(Shatrughna Singh)
Secretary.